



कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

मानचित्र संख्या १४/७५४/गो ६/८५/१२१३ (मानचित्र स्वीकृत पत्र)
दिनांक १२/१२/१३ दिनांक ३०-५-१३

मै. ए.एल.टी. सहकारी आवास समिति लि.
द्वारा सचिव श्री अरविन्द कुमार त्यागी,
तृतीय-६७, ए.एल.टी. कम्पाउन्ड,
गाजियाबाद।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक १४.०१.१३ के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित गुप हाउसिंग भवन इन्दिरापुरम विस्तार के भूखण्ड सं.-एस.एल.-२ पर निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृत प्रदान की जाती है :-

१. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
२. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे - नगरपालिका, जी. डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है।
३. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
४. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
५. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
६. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुलें।
७. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
८. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
९. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
१०. यह मानचित्र उ. प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा-१५ के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो शर्त भी मान्य होगी।
११. सड़क पर अथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक रैम्प नहीं बनाये जायेंगे यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
१२. सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
१३. पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त शपथ पत्रों का पालन करना होगा।
१४. पर्यावरण की दृष्टि से उ. प्र. राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम ५० पेड लगाया अनिवार्य है।
१५. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
१६. ३०० वर्ग मीटर या ऐसे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों के रूफटॉप हार्वैस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
१७. १२-०० मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था करनी होगी।
१८. अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, अतिथि गृह, विश्राम गृह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, प्राविधिक संस्थाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, बैंक्वेट हॉल/बारात घर व ५०० वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना करना अनिवार्य होगा।
१९. लेबर सैस की आंकलित धनराशि की २०% धनराशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मानचित्र स्वीकृति की दिनांक के अनुसार समयबद्ध जमा करानी होगी। भविष्य में यदि श्रम कार्यालय से इस सम्बन्ध में यदि कोई अन्य निर्देश प्राप्त होते हैं तो उसका भी अनुपालन करना होगा।
२०. निर्माण का स्ट्रक्चरल सेफ्टी, गुणवत्ता, वर्कमैनशिप एवं निर्माण के समय सुरक्षा आदि का समस्त उत्तरदायित्व भू-स्वामी/निर्माणकर्ता का होगा।

A. C.

20/4

21. भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15(3) के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण की भूमि विषयक भू-स्वामित्व के लिए विधितः बाध्य नहीं है।
22. अग्निशमन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन करना होगा।
23. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति 2 माह में प्रस्तुत करनी होगी जिसके उपरान्त ही सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
24. एक्सटेन्डिट बेसमेन्ट/ड्राईवे की डिजाईन एक एकजीक्यूशन अग्निशमन विभाग के वाहनों के आवागमन के दृष्टिगत कराया जाना अनिवार्य होगा।
25. सर्विस प्लान में दर्शित प्राविधानों/विकास कार्यों के पी0डब्लू0डी0 के मानकों के अनुरूप करना होगा।।
26. भवन निर्माण के समय भवन निर्माण सामग्री अपने भूखण्ड में ही रखनी होगी इस आशय का शपथ पत्र दिया गया है अन्यथा की स्थिति में मलवा शुल्क जमा कराना होगा।
27. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किसी भी मद में किसी भी प्रकार के शुल्क की माँग की जाती है तो वह प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
28. तकनीकी स्वीकृति पत्र संख्या 416/मा.प्लान/13 दिनांक 16.02.13 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
29. लिफ्ट की सुरक्षा संचालन व अनुरक्षण की समस्त जिम्मेदारी बिल्डर की होगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिफ्ट एक्ट का गठन किये जाने के उपरान्त उसके अनुपालन की जिम्मेदारी भी बिल्डर की होगी।
30. भवन की ऊँचाई 20 मी. से अधिक होने से पूर्व एअरपोर्ट एथोरिटी इन्डिया लि. की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

संलग्नक :

1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

M/30/4/13

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
दिनांक

पत्रांक /एमपी/

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण